तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
12.01.24	वकील वादी प्रार्थी वकील प्रतिवादी उपस्थित/अनुपस्थित/श्रीमान पीठासीन अधिकारी महोदय शिविर एवं अन्य कार्य में व्यस्त रहे हैं। अतः पत्रावली वास्ते पूर्ववत् दिनांक 26/2/24 को पेश हो। (initials)	
26/2/24	वकील वादी प्रार्थी वकील प्रतिवादी उपस्थित/अनुपस्थित/श्रीमान पीठासीन अधिकारी महोदय अवकाश पर रहे हैं। अतः पत्रावली वास्ते पूर्ववत् दिनांक 18/4/24 को पेश हो। (initials)	
18/04/24	वकील वादी प्रार्थी वकील प्रतिवादी उपस्थित/अनुपस्थित/श्रीमान पीठासीन अधिकारी महोदय चुनाव कार्य में व्यस्त रहे हैं। अतः पत्रावली वास्ते पूर्ववत् दिनांक 5.6.24 को पेश हो। (initials)	
5.6.24	आज यह पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी उपस्थित उन्हें सुनाये जाने वास्ते आदेशार्थ पत्रावली दिनांक 12.6.24 को पेश हो (signature)	
12.06.24	आज यह पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी उपस्थित बहस अधिवक्ता का मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया प्रार्थना-पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल है पत्रावली फैसल शुमार होकर नतीजा कायम हो बाद तकमील जाब्ता शामिल दफ्तर हो। (signature)	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भुसावर (भरतपुर)

पीठासीन अधिकारी :— सचिन यादव (आर.ए.एस.)

प्रकरण सख्या: 30/22 दायर दिनांक: 30.06.22

जीसीएमएस नं. 2022/200

फोदूराम पुत्र मिट्ठन जाति मीना नि. दीवली, तह. भुसावर जिला भरतपुर राज.

—प्रार्थी

बनाम

राज. सरकार जरिये तहसीलदार, भुसावर जिला भरतपुर राज.

—असल अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136
राज. भू–राजस्व अधिनियम 1956

अधिवक्ता— 1.श्री महेश मीना —प्रार्थी
2.पैरोकार सरकार —अप्रार्थी

निर्णय दिनांक 12.06.2024

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.ए. के तहत पेश किया गया। जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आ.ख.नं. 476 रकबा 02 बीघा 08 बिस्वा वाके ग्राम दीवली तह. भुसावर में स्थित है, जिसका इन्द्राज संवत 2050–2053 में दर्ज खातेदार मिट्ठन पुत्र गोपी के नाम था। तथा प्रार्थी के पिता मिट्ठन ही उक्त सम्पूर्ण रकबा पर काविज रहकर काश्त करता चला आ रहा था। तथा मिट्ठन की मृत्यु के बाद आज दिनांक तक प्रार्थी व तरतीवी अप्रार्थीगण काविज रहकर काश्त करते चले आ रहे है।

उक्त ख.नं. 476 रकबा 02 बीघा 08 बिस्वा का राजस्व कर्मचारियों की सहवन गलती से रकबा 02 बीघा 08 बिस्वा के स्थान पर मात्र 08 बिस्वा ही राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी में दर्ज हो गया। जो वर्तमान पर्यन्त रिकॉर्ड में दर्ज होता चला आ रहा है। जबकि मौके पर प्रार्थी व प्रार्थी के भाई बहिन सम्पूर्ण 02 बीघा 08 बिस्वा के रकबा पर काविज चले आ रहे है। वर्तमान में दर्ज 08 बिस्वा के खसरा नंबर का ही भू–प्रबन्ध अधिकारी द्वारा नया ख.नं. 647 रकबा 0.06 हैक्टे. बनाया गया।

प्रार्थी के उक्त खसरा नंबर का रकबा 02 बीघा 08 बिस्वा के स्थान पर 08 बिस्वा की जानकारी होने पर अप्रार्थी को प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। जिसपर हल्का पटवारी दीवली द्वारा मौके की जाँच कर अपनी रिपोर्ट में भी उक्त खसरा नंबर का रकबा 02 बीघा 08 बिस्वा पूर्व में रिकॉर्ड में दर्ज होना बताया, और बाद में सहवन गलती से 08 बिस्वा का रकबा दर्ज हो गया।

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया गया है कि प्रार्थी का रकबा शुद्ध करने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र दर्ज कर अप्रार्थी की तलवी जरिये रजिस्टर्ड डाक द्वारा की गई। नोटिस की ताईद में अप्रार्थी तहसीलदार, भुसावर द्वारा अपनी रिपोर्ट पेश की गई।

हमने बहस अधिवक्तागण पर मनन किया गया तथा पत्रावली एवं इसमें प्रस्तुत राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया एवं तहसीलदार, भुसावर रिपोर्ट अध्ययन किया गया।

उक्त के आधार पर हम प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार, भुसावर को आदेशित किया जाता है कि वाके ग्राम दीवली के पुराने ख.नं. 476 रकबा 08 के स्थान पर 02 बीघा 08 बिस्वा दर्ज करते हुए नया ख.नं. 647 रकबा 0.38 हैक्टे. दर्ज किया जावें।

निर्णय आज दिनांक 12.06.2024 को लिखाया जाकर खुले इजलास सुनाया गया।

(सचिन यादव)
उपखण्ड अधिकारी,
भुसावर (भरतपुर)